पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 267

2019 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 23415

==========

1. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना अपने निबंधक के माध्यम से।
2. निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना।
3. निबंधक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना।
4. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना के अध्यक्ष के माध्यम से बोर्ड ऑफ गवर्नर (बी.ओ.जी.)।

.....अपीलकर्ता/अपीलकर्तागण

बनाम

1. डा0 अमजद अली पुत्र इलियास, निवासी ग्राम-अधारी, डाकधर-तेहतारा, भारा-सिंधवारा, थाना-कटरा, जिला-दरभंगा, वर्तमान निवासी-फलैट सं0 210, एस.बी.आई. परिसर भवन, महेन्दू, थाना-पीरबहोर, गॉधी चौक के निकट, जिला और शहर-पटना ।
2. डॉ. राजीव सिन्हा, (पूछताछ अधिकारी), प्रोफेसर, पृथ्वी विज्ञान विभाग, आई. आई. टी. कानपुर (यू. पी.)।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==========

सेवा कानून - निष्कासन - यदि कोई कानून लोक सेवक/अस्थायी कर्मचारी पर बुरा प्रभाव डालता है या उसके चरित्र एवं ईमानदारी के खिलाफ आक्षेप लगाता है, उसे सजा मानना चाहिये -- यदि उसके बाद सेवा समाप्ति का कोई आदेश दिया जाता है, तो यह निश्चित रुप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरुप विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया चलायी जायेगी। निर्णित किया गया कि जिस दस्तावेज के आधार पर आरोप साबित हुये, उनके बार-बार माँगे जाने के बावजूद प्रतिवादी को प्रस्तुत नहीं किया गया।

फिर निर्णित किया कि दोषी के खिलाफ एक विभागीय जाँच लापरवाही से नहीं किया जा सकता।

फिर निर्णित किया गया कि प्रतिवादी के बचाव स्पष्टीकरण पर कोई चर्चा या विचार नहीं किया गया, सिवाय इसके कि स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया।

निर्णित किया गया कि निष्कासन का आदेश मूलाधार और अंतरात्मा को झकझोरने वाला है। एकल न्यायाधीश का निर्णय बरकरार रखा गया और उसमें इस हद तक संशोधित किया गया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जाँच अधिकारी की नियुक्ति के चरण से विभागीय जाँच में आगे बढ़े।

[पारा 10, 8, तथा 21]

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 267

2019 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 23415

==========

1. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना अपने निबंधक के माध्यम से।
2. निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना।
3. निबंधक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना।
4. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना के अध्यक्ष के माध्यम से बोर्ड ऑफ गवर्नर (बी.ओ.जी.)।

.....अपीलकर्ता/अपीलकर्तागण

बनाम

1. डा0 अमजद अली पुत्र इलियास, निवासी ग्राम-अधारी, डाकधर-तेहतारा, भारा-सिंधवारा, थाना-कटरा, जिला-दरभंगा, वर्तमान निवासी-फलैट सं0 210, एस.बी.आई. परिसर भवन, महेन्दू, थाना-पीरबहोर, गॉधी चौक के निकट, जिला और शहर-पटना ।
2. डॉ. राजीव सिन्हा, (पूछताछ अधिकारी), प्रोफेसर, पृथ्वी विज्ञान विभाग, आई. आई. टी. कानपुर (यू. पी.)।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==========

उपस्थिति:

अपीलार्थी के लिए : श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता और

श्री संजय कुमार गिरि, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री शेखर सिंह, अधिवक्ता

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अहसानुद्दीन अमानुल्लाह

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री हरीश कुमार

सीएवी निर्णय

(निर्णयःमाननीय श्री न्यायमूर्ति हरीश कुमार)

तिथी: 04-02-202

श्री वाई. वी. गिरि, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री संजय कुमार गिरि, अपीलार्थी के विद्वान वकील और श्री शेखर सिंह, निजी प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वकील के साथ सुना।

2.खंड 10 के तहत वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील। पटना न्यायालय में क्षेत्राधिकार के लेटर्स पेटेंट को इस क्षेत्राधिकार के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 2019 के C.W.J.C संख्या 23415 में पारित आदेश दिनांकित 19.04.2022 के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी-रिट याचिकाकर्ता को सहायक प्रोफेसर, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग के पद से हटाने के आदेश दिनांक 15.10.2019 को रद्द कर दिया है और निर्देश दिया है कि यदि उसने कहीं और काम नहीं किया है तो उसे बीच की अवधि के लिए सेवा और वेतन की निरंतरता के साथ बहाल किया जाए।

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने आदेश पर मुख्य रूप से इस आधार पर आपत्ति की है कि जब उच्च न्यायालय की राय थी कि वर्तमान मामले में जांच अधिकारी और अनुशासनात्मक प्राधिकारी के स्तर पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ था, तो हटाने के आदेश को रद्द करने के बाद, मामले को लौटा देना चाहिए था और अनुशासनात्मक प्राधिकरण को उस स्तर से विभागीय जांच के साथ आगे बढ़ने की

अनुमति देनी चाहिए थी जिस स्तर पर गलती देखी गई थी।उपरोक्त तर्क के समर्थन में, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर दृढ़ता से भरोसा किया **हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड बनाम महेश दहिया (2017) 1 एस. सी. सी. 768 के मामले में प्रस्तुत।**

4. अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का आगे का तर्क, अपील के तहत आदेश को लागू करते हुए यह है कि प्रतिवादी 1-रिट याचिकाकर्ता को अनुबंध पर सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था और उनके सिद्ध कदाचार के लिए उन्हें केवल एक महीने का नोटिस देकर सेवा से हटा दिया जा सकता था क्योंकि रेलवे, दानापुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक की रिपोर्ट के आधार पर अपराधी के खिलाफ जालसाजी का आरोप संदेह से परे साबित हो गया था।उन्होंने आगे कहा कि जांच अधिकारी के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की आपत्ति केवल इस आधार पर स्थापित नहीं की जा सकती है कि वह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (इसके बाद 'एन. आई. टी. पटना' के रूप में संदर्भित) के शासक मंडल के सदस्य हैं।अंत में उन्होंने कहा कि सजा की मात्रा के बारे में जांच अधिकारी का सुझाव केवल अपराध की प्रकृति और गंभीरता के बारे में उनकी चिंता को दर्शाता है।

5. दूसरी ओर, श्री शेखर सिंह, प्रतिवादी सं 01 समर्पित करते है कि अपील के तहत आदेश विभागीय कार्यवाही में की गई विभिन्न अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है, इस तथ्य के अलावा कि सजा का विवादित आदेश विवेकहीनता से ग्रस्त है, क्योंकि प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा गए स्पष्टीकरण पर कोई विचार नहीं किया गया था। वह आगे समर्पित करते है कि अपील के तहत आदेश ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि एक जांच अधिकारी को एक स्वतंत्र न्यायनिर्णायक माना जाता है; हालाँकि, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से पता चलता है कि जांच अधिकारी ने प्रतिवादी सं.1, जांच रिपोर्ट से कौन सा तथ्य पुष्ट होता है, जिसमें उन्होंने अनुकरणीय सजा की सिफारिश की थी।यह भी समर्पित किया जाता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य पर उचित रूप से विचार किया है कि वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक, ईसीआर, दानापुर के बयान के अभाव में, 26.02.2015

दिनांकित पत्र की सामग्री, जिसके आधार पर आरोप साबित किया गया है, अप्रमाणित रही, क्योंकि न तो वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक, ईसीआर, दानापुर का परिक्षण किया गया और न ही पत्र की सामग्री मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित की गई है।

6. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील के तर्क पर विचार करने से पहले, मामले का तथ्यात्मक विवरण देना उपयुक्त और उचित होगा।

7. प्रत्यर्थी सं.-1 एन. आई. टी., पटना में मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर (अनुबंध पर) के पद पर नियुक्त किया गया था पत्र संख्या एन. आई. टी. पी./4363/14 दिनांक 17.09.2014 के हस्ताक्षर के तहत जारी किया गया। निबंधक एन. आई. टी., पटना।उपरोक्त नियुक्ति पत्र के अनुसार, अपीलार्थी ने 30.09.2014 को अपना ज्वाइनिंग प्रस्तुत किया और अपने ज्वाइनिंग के बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (यू. पी.) में 24-26.11.2014 को अपना पेपर प्रस्तुत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।एन. आई. टी., पटना के निबंधक द्वारा जारी दिनांक 28.11.2014 के कार्यालय आदेश के अनुसार उनकी यात्रा को कार्योत्तर मंजूरी दी गई थी।

8. यह अपीलार्थी एन. आई. टी., पटना का मामला है कि प्रतिवादी सं..1-याचिकाकर्ता ने राउरकेला से एन. आई. टी. पटना की अपनी यात्रा के लिए और आगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए 08.12.2014 को यात्रा बिल जमा किया था, जो बाद में असली नहीं पाया गया।उपरोक्त मामला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में रखा गया था, और प्रतिवादी सं.1-रिट याचिकाकर्ता ने कहा कि जाली टिकट दिखाने के लिए उनके खिलाफ सहायक प्रोफेसर (अनुबंध पर) एन. आई. टी., पटना के पद से बर्खास्तगी सहित अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जाए।इसके बाद, एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका प्रत्यार्थी नं. 1रिट याचिकाकर्ता द्वारा विधिवत जब्त दिया गया।

9. उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार, सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियम, 1965 के नियम 14 के संदर्भ में निदेशक, एन. आई. टी., पटना के हस्ताक्षर के तहत आरोप पत्र जारी किया गया था।तीन आरोपों वाले आरोपों के लेख को रिट याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था। आरोप पत्र के जवाब में, प्रत्यर्थी सं.-11-रिट याचिकाकर्ता ने दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया, यानी, प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत टिकट और दिनांक 26.02.2015 का पुष्टिकरण पत्र, हालांकि, उक्त दस्तावेजों को प्रदान करने से इनकार कर दिया गया था, लेकिन किसी भी तरह से 1-रिट याचिकाकर्ता ने आरोपों के बचाव में अपना लिखित बयान प्रस्तुत किया और उन्होंने अपने बचाव में एक विस्तृत स्पष्टीकरण देकर आरोपों का खंडन किया। प्रत्यार्थी सं.-1 रिट याचिकाकर्ता आगे बढ़ी के खिलाफ जांच के रिट याचिकाकर्ता ने जाँच के दौरान विस्तृत कथनों के साथ जाँच अधिकारी के *दुर्भावनापूर्ण* और पक्षपातपूर्ण कार्य के संबंध में एक आवेदन दायर किया। हालाँकि, जाँच आगे बढ़ा दी गई और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है, उसके आधार पर प्रतिवादी सं.-1 एन. आई. टी, पटना की सेवा से (रिट याचिकाकर्ता को) को हटा दिया गया ।

10. इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और अपील के तहत आदेश को ध्यान से देखने के बाद पाया कि यदि कोई आदेश सेवक/अस्थायी कर्मचारी के संबंध में दिया जाता गया हो जो किसी भी बुरे परिणाम या उसके चरित्र या सत्यनिष्ठा के खिलाफ आक्षेप करने वाला हो को कर्मचारी को सजा के रूप में माना जाना चाहिए, चाहे वह केवल परिवीक्षाधीन हो या अस्थायी सेवक हो और ऐसी स्थिति में यदि एक जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है, एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाता है, स्पष्टीकरण मांगा जाता है और विचार किया जाता है, इसके बाद किए गए सेवा की समाप्ति के किसी भी आदेश पर निश्चित रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया का उचित अनुपालन के तहत होना होगा।

11. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट होगा कि जांच अधिकारी, डॉ. राजीव सिन्हा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्यों में से एक थे, जिन्होंने जाली टिकट पेश करने के लिए एन. आई. टी., पटना की सेवा से बर्खास्तगी सहित अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया था और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्यों में से एक होने के बावजूद जांच अधिकारी बने और न केवल यह कि हालांकि प्रतिवादी सं.1-रिट याचिकाकर्ता ने एन. आई. टी., पटना के निदेशक के समक्ष एक आवेदन दायर करके पक्षपात के उनके आचरण के बारे में आरोप लगाया कि उसमें जांच अधिकारी द्वारा उनके ई-मेल के साथ छेड़छाड़ की गई थी और कैसे उनसे पक्षपात के अधीन किया गया था, लेकिन जॉच अधिकारी को बदलने के बजाय या उक्त आवेदन पर कम से कम कोई आदेश पारित किया जाए, लेकिन विभागीय जांच आगे बढ़ी और उन्होंने एक ही दिन में जांच पूरी की और प्रतिवादी सं.-1-रिट याचिकाकर्ता के विरुद्धध सभी आरोप साबित होना पति हुए प्रतिवेद समर्पित की गई और अग्रेतर एक जांच अधिकारी के रूप में उन्होंने दृढ़ता से सिफारिश की कि "उनके कदाचार के लिए उन्हें अनुकरणीय सजा दी जानी चाहिए"।

12. उपरोक्त तथ्यों से पक्षपात की उचित आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।यह अवलोकन करना प्रासंगिक होगा कि एक निर्णय, जो पक्षपात या निष्पक्षता की कमी का परिणाम है, एक शून्यता है और परीक्षण "गैर-न्यायिक" है।पक्षपात की वास्तविक संभावना की कसौटी यह है कि क्या प्रासंगिक जानकारी रखने वाले एक तर्कसंगत व्यक्ति ने सोचा होगा कि पक्षपात की संभावना थी और क्या संबंधित प्राधिकारी को केवल एक विशेष तरीके से मामले का फैसला करने के लिए निपटाया जाने की संभावना थी।प्रासंगिक बात यह है कि पक्षकार के मन में इस संबंध में आशंका की तर्कसंगतता है।न्यायाधीश के लिए उचित दृष्टिकोण यह नहीं है कि वह अपने मन को देखे और खुद से पूछे, चाहे वह कितना भी ईमानदारी से क्यों न हो, "क्या मैं पक्षपाती हूं?"; लेकिन उनके सामने पार्टी के दिमाग को

देखना है।**रणजीत ठाकुर बनाम संघ और अन्य (1987)4 एस.सी.सी. 611** मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया जा सकता है।

13. यह न्यायालय इस तथ्य से भी अवगत है कि यह एन. आई. टी., पटना का मामला नहीं है कि प्रतिवादी नं।1 राउरकेला से पटना 28.09.2014 को, पटना से अलीगढ़ 26.11.2014 को और अलीगढ़ से पटना 28.11.2014 को यात्रा नहीं की थी।एन. आई. टी. का एकमात्र मामला यह है कि प्रतिवादी सं.-1 दानापुर के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक, ईसीआर की रिपोर्ट के आधार पर रिट याचिकाकर्ता को वास्तविक नहीं पाया गया।हालांकि, न तो वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक, ईसीआर, दानापुर अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में जांच अधिकारी के सामने पेश हुए और न ही जांच अधिकारी के सामने पेश की गई रिपोर्ट की सामग्री कभी भी मौखिक साक्ष्य से साबित हुई है।

14. विद्वान एकल न्यायाधीश ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर सही ढंग से भरोसा किया है **रूप सिंह नेग बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य (2009) 2 एससीसी 570**।पैरा 14, 15 और निर्णय के 23 को उद्धृत करना उपयुक्त होगा।.

> *14. निर्विवाद रूप से, विभागीय कार्यवाही एक अर्ध-न्यायिक कार्यवाही है।अनुसंधान अधिकारी एक अर्ध न्यायिक कार्य करता है। दोषी अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित होने चाहिए।अनुसंधान अधिकारी का कर्तव्य है कि वह पक्षकारों द्वारा अभिलेख पर लाई गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। अनुसंधान अधिकारी द्वारा सभी अभियुक्तों के विरुद्ध जाँच के दौरान एकत्र किए गए कथित साक्ष्य को अनुशासनात्मक कार्यवाही में साक्ष्य नहीं माना जा सकता।उक्त दस्तावेजों को साबित करने के लिए किसी गवाह से पूछताछ नहीं की गई।प्रबंधन के गवाहों ने केवल दस्तावेजों को प्रस्तुत किया और इसकी सामग्री को साबित नहीं*

किया। अन्य बातों के साथ-साथ अब तक, जाँच अधिकारी द्वारा प्राथमिकी को आधार बनाया गया जिसे सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता था।

"15. हम यहाँ पहले भी देख चुके हैं कि एकमात्र बुनियादी सबूत जिस पर जांच अधिकारी द्वारा भरोसा किया गया है, वह अपीलार्थी द्वारा पुलिस के समक्ष किया गया कथित स्वीकारोक्ति था।अपीलार्थी के अनुसार, उसे उक्त स्वीकारोक्ति पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि उसे पुलिस स्टेशन में प्रताड़ित किया गया था।अपीलार्थी के बैंक का कर्मचारी होने के कारण उक्त स्वीकारोक्ति साबित हो जानी चाहिए थी।यह दिखाने के लिए कुछ सबूत रिकॉर्ड पर लाए जाने चाहिए थे कि वह बैंक ड्राफ्ट बुक की चोरी में शामिल था।मान लीजिए, कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था।यहां तक कि कोई अप्रत्यक्ष सबूत भी नहीं था। रिपोर्ट का आशरा यह दर्शाता है कि जाँच अधिकारी ने उसे दोषी ठहराने का मन बना लिया था अन्यथा वह इस आधार पर आगे नहीं बढ़ता कि अपराध इस तरह से किया गया था कि कोई सबूत नहीं बचा था।

23. इसके अलावा, अनुशासनात्मक प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण के आदेश का किसी भी कारण से समर्थन नहीं किया जाता है।चूंकि उनके द्वारा पारित आदेशों के गंभीर नागरिक परिणाम होते हैं, इसलिए उचित कारण निर्धारित किए जाने चाहिए थे।यदि जांच अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा की गई स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया था, तो इसका कोई कारण नहीं था कि आपराधिक अदालत द्वारा स्वयं के साक्ष्य के आधार पर पारित आरोपमुक्त करने के आदेश पर विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए था।अपराध की ओर इशारा करते हुए अभिलेख पर लाई गई सामग्री को साबित करने की आवश्यकता है।निर्णय कुछ सबूतों पर लिया जाना चाहिए, जो कानूनी रूप से स्वीकार्य है।साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान विभागीय कार्यवाही में लागू नहीं हो सकते हैं लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हैं।चूँकि जाँच अधिकारी की रिपोर्ट केवल

अनुमानों और अनुमानों पर आधारित थी, इसलिए इसे कायम नहीं रखा जा सकता था।जांच अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष स्पष्ट रूप से किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं थे।संदेह, जैसा कि सर्वविदित है, कितना भी अधिक हो किसी भी परिस्थिति को कानूनी प्रमाण का विकल्प नहीं माना जाएगा।"

15. अपीलार्थी ने इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया है कि जिस दस्तावेज़ के आधार पर आरोप साबित हुए हैं, वह प्रतिवादी नं.1- के द्वारा की गई मांग के बावजूद रिट याचिकाकर्ता को नहीं दी गई।इस संबंध में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने **काशीनाथ दीक्षीता बनाम भारत संघ और अन्य, (1986) 3 एस. सी. सी. 229, में रिपोर्ट किए गए** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर सही ध्यान दिया है। जिसमें उसने उचित रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कारण दिखाने के उचित अवसर का अर्थ यह है कि सरकारी कर्मचारी को उन आरोपों के खिलाफ अपना बचाव करने का उचित अवसर दिया जाता है, जिन पर जांच की जाती है।दोषी को अपने अपराध से इनकार करने और अपनी बेगुनाही स्थापित करने का अवसर दिया जाना चाहिए।वह ऐसा तब कर सकता है जब उसे बताया जाए कि उसके खिलाफ क्या आरोप हैं।वह अपने खिलाफ पेश किए गए गवाहों से जिरह करके ऐसा कर सकता है, इसलिए, जांच अधिकारी के द्वारा मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक, ईसीआर, दानापुर की गवाही हेतु नहीं बुलाने और प्रतिवादी सं.-1 को,जांच के दौरान वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक, ईसीआर, दानापुर की रिपोर्ट जैसे दस्तावेजों की प्रतियों को प्रदान करने में जाँच अधिकारी भी विफलता, जाँच में अपना बचाव करने में प्रत्यार्थी सं.-1 के प्रति पूर्वग्रह पारित किया जाना होना चाहिए।

16. ऊपर की गई उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए हमारा विचार है कि जब दोषी के खिलाफ विभागीय जांच की जाती है, तो इसे लापरवाही से नहीं किया जा सकता है। जाँच कार्यवाही इस बात को ध्यान में रखते हुए नहीं की जा सकती है कि किसी भी परिस्थिति में अपराधी को दंडित नहीं किया जाता है, प्राकृतिक न्याय के नियम का पालन

किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्यवाही में अपराधी के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाए, जिसकी परिणति बर्खास्तगी/सेवा से हटाने सहित सजा के अधिरोपण में हो सकती है।विद्वान एकल न्यायाधीश ने विभागीय जांच करने में जांच अधिकारी के आचरण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर भी ध्यान दिया है, जैसा कि स्पष्ट किया गया है। **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम सरोज कुमार सिन्हा, (2010) 2 एस. सी. सी. 772** का मामला।प्रासंगिक अनुच्छेद इसके 27,28 और 30 होंगे।

"27. उपरोक्त उप-नियम के अवलोकन मात्र से पता चलता है कि जब प्रतिवादी आरोप पत्र में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रहा था, तो जांच अधिकारी पर जांच में अपनी उपस्थिति के लिए एक तारीख तय करने का दायित्व था। यह केवल उस मामले में है जब निर्धारित तिथि के नोटिस के बावजूद सरकारी कर्मचारी यह पेश करने में विफल रहा कि जांच अधिकारी एकतरफा जांच के साथ आगे बढ़ सकता है। ऐसी परिस्थितियों में भी आरोप पत्र में उल्लिखित गवाहों के बयान दर्ज करना जांच अधिकारी का दायित्व है।चूँकि सरकारी कर्मचारी अनुपस्थित है, इसलिए वह स्पष्ट रूप से गवाहों की प्रतिपरीक्षा का लाभ खो देगा।लेकिन फिर भी आरोप स्थापित प्रस्तुत के लिए विभाग को जांच अधिकारी के समक्ष आवश्यक सबूत पेश प्रस्तुत की आवश्यकता होती है।यह इस आरोप से बचने के लिए है कि जांच अधिकारी ने अभियोजक के साथ-साथ न्यायाधीश के रूप में भी काम किया है।

28. अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण में कार्य करने वाला एक जांच अधिकारी एक स्वतंत्र न्यायनिर्णायक के पद पर होता है।उसे विभाग/अनुशासनात्मक प्राधिकरण/सरकार का प्रतिनिधि नहीं माना जाता है।उनका कार्य विभाग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की जांच करना है, यहां तक कि दोषी अधिकारी की अनुपस्थिति में भी यह देखने के लिए कि क्या अप्रमाणित साक्ष्य यह मानने के लिए पर्याप्त है कि आरोप साबित हुए हैं।वर्तमान

मामले में उपरोक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।चूंकि किसी मौखिक साक्ष्य की जांच नहीं की गई है, इसलिए दस्तावेजों को साबित नहीं किया गया है, और इस निष्कर्ष पर विचार नहीं किया जा सकता है कि उत्तरदाताओं के खिलाफ आरोप साबित हो गए हैं।

30. जब सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच की जाती है तो इसे आकस्मिक कार्रवाई नहीं माना जा सकता। इसे बंद दिमाग से नहीं चलाया जा सकता है।जाँच अधिकारी को पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए।प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न केवल न्याय किया गया है, बल्कि स्पष्ट रूप से किया गया है।प्राकृतिक न्याय के नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक सरकारी कर्मचारी के साथ ऐसी कार्यवाही में निष्पक्ष व्यवहार किया जाए जो बर्खास्तगी/सेवा से हटाने सहित सजा के अधिरोपण में परिणत हो सकती है।.

17. अब हटाने के आदेश पर आते हुए और उसके अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रत्यर्थी सं.-1 रिट याचिकाकर्ता को छोड़कर और सिवाय इसके कि स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया था और जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर विश्वास करने और स्वीकार करने का हर कारण है, जो *प्रथम दृष्टया* अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा विवेक का प्रयोग नहीं करने का सुझाव देता है।हालांकि, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि कोई अनुशासनात्मक प्राधिकरण जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को स्वीकार करता है तो सजा देने वाले आदेश में कोई विस्तृत कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।हालाँकि, यह अनुशासनात्मक प्राधिकरण को उस स्पष्टीकरण पर चर्चा करने और उस पर विचार करने के लिए पूरी तरह से दोषमुक्त नहीं करता है, जो वर्तमान मामले में अनिवार्य रूप से आवश्यक है, क्योंकि प्रतिवादी नं।1-रिट याचिकाकर्ता ने जांच अधिकारी और के खिलाफ *दुर्भावनापूर्ण* आरोप भी लगाया है। आरोप केवल आरोप लगाने के लिए नहीं है,

बल्कि ठोस तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाया गया है, जिस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है और निष्कर्ष को अनुशासनात्मक प्राधिकरण के स्तर पर भी दर्ज करने की आवश्यकता थी, लेकिन हटाने का आदेश हर पहलू पर चुप है।यह केवल जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर आधारित तथ्यों का वर्णन है।

18. यह न्यायालय इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि प्रत्यर्थी नहीं।1-रिट याचिकाकर्ता ने अपने स्पष्टीकरण में स्पष्ट प्रश्नगत कहा है कि उसे किससे और कैसे टिकट मिले, और इसके लिए वह पहले ही नेट-बैंकिंग के माध्यम से शुल्क का भुगतान कर चुका है।उनके कथन और उनके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने और भाग लेने के तथ्य पर कभी संदेह नहीं किया गया, जिसके लिए उन्होंने यात्रा भत्ते के लिए अपना बिल प्रस्तुत किया।हालाँकि, अपीलार्थी एन. आई. टी., पटना इस बात पर विचार करने में विफल रहा है कि हो सकता है कि उसे यात्रा एजेंट के हाथों धोखा दिया गया हो और मामले के किसी भी दृष्टिकोण से हटाने की सजा का आदेश निश्चित रूप से साबित होने वाले आरोपों के अनुपात में नहीं है, जो इस न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देता है और इस मामले में भी हटाने का आदेश उचित और उचित नहीं था। इस न्यायालय की सुविचारित राय में, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, भले ही आरोपों को पूरी तरह से साबित माना गया हो, केवल मामूली सजा देना उचित ठहराया जा सकता है और साबित किए गए आरोपों/अपराध के अनुरूप/आनुपातिक माना जा सकता है।

19. वर्तमान मामले के पूरे विस्तार पर ध्यान देने के बाद यह न्यायालय इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश/निर्णय में कोई त्रुटियां नहीं पाता है, सिवाय इसके कि विद्वान एकल न्यायाधीश इस बात पर विचार करने में विफल रहा है कि दुर्भावनापूर्ण तथ्य के अलावा जांच अधिकारी के साथ-साथ अनुशासनात्मक प्राधिकरण के स्तर पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया था, इसलिए हटाने के आदेश को रद्द करने के बाद, मामले को वापस किया जाना चाहिए था, जिससे अनुशासनात्मक

प्राधिकरण को स्वतंत्रता और निष्पक्ष जांच अधिकारी की नियुक्ति के चरण से विभागीय जांच के साथ आगे बढ़ने की अनुमति मिल जानी चाहिए थी और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए था।

20. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड बनाम महेश दहिया (2017) 1 एससीसी 768** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर सही भरोसा किया है। यह उपरोक्त निर्णय के 31 और 32 को उद्धृत करने के लिए प्रासंगिक होगा।

"31. विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ दोनों ने इस तथ्य पर बहुत अधिक भरोसा किया है कि दिनांकित 02.04.2008 पत्र द्वारा रिपोर्ट की प्रति को अग्रेषित करने से पहले अनुशासनात्मक प्राधिकरण-सह-पूर्णकालिक सदस्यों ने रिट याचिकाकर्ता को बड़े जुर्माने से दंडित करने के लिए पहले ही एक राय बना ली है 25.02.2008 जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है।हमारा विचार है कि किसी अपराधी पर लगाए जाने वाले दंड के संबंध में राय देने से पहले, दोषी को जांच रिपोर्ट पर अभ्यावेदन/जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए जिसमें दोषी के खिलाफ आरोप साबित होता है।अनुशासनात्मक प्राधिकारी-सह-पूर्णकालिक सदस्यों द्वारा 25-2-2008 को बनाई गई राय का गठन जांच रिपोर्ट पर रिट याचिकाकर्ता की टिप्पणियों का लाभ उठाए बिना किया गया था।रिट याचिकाकर्ता जांच रिपोर्ट में अपने अभ्यावेदन में प्रक्रिया में किसी भी दोष, साक्ष्य की सराहना में पर्याप्त प्रकृति के दोष, मौखिक या दस्तावेजी दोनों तरह के साक्ष्य के किसी भी भ्रामक साक्ष्य को इंगित करने का हकदार है।अपने अभ्यावेदन में दोषी द्वारा दिए गए किसी भी इनपुट और स्पष्टीकरण को वैधानिक नियमों के अनुसार आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा विचार किए जाने का भी अधिकार है।इस प्रकार, हमारा विचार है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण के स्तर

पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया था जब रिट दोषी को जॉच रिपोर्ट भेजे बिना बर्खास्तगी के साथ दंडित करने के लिए राय बनाई गई थी।और जाँच रिपोर्ट पर उसकी टिप्पणी प्राप्त करने से पहले।इस प्रकार, हमारा विचार है कि सजा के आदेश के साथ-साथ अपीलीय आदेश को दरकिनार करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को बनाए रखना होगा।

32. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि वर्तमान मामला वह है जहां उच्च न्यायालय को दंड आदेश के साथ-साथ अपीलीय आदेश को रद्द करते समय अनुशासनात्मक प्राधिकारी को उस चरण से जांच शुरू करने की अनुमति देनी चाहिए थी जिसमें गलती देखी गई थी, यानी नियमों के नियम 15 के तहत चरण।हम इस बात से अवगत हैं कि एकल न्यायाधीश, खंड पीठ और इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान पर्याप्त समय बीत चुका है, हालांकि, इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 31-8-2015 [एच. पी. एस. ई. बी. बनाम महेश दहिया, 2015 का एस. एल. पी. (सी) सी. सी. संख्या 15656, दिनांक 31-8-2015 (एस. सी.) के आदेश को देखते हुए, उच्च न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन के संबंध में आगे कोई कदम नहीं उठाया गया है।नियम 15 के चरण से कार्यवाही को पूरा करने के लिए एक समय-सीमा तय करके इस अपील के निपटारे में न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा।.

21. तदनुसार, वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील का निपटारा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किए बिना किया जाता है, जिसके द्वारा रिट याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने के आदेश को रद्द कर दिया गया है दरकिनार कर दिया गया है।और सभी परिणामी लाभों की अनुमति दी गई है।हलॉकि, यह न्यायालय विद्वत एकल न्यायाधीश के आदेश को इस हद तक संशोधित करता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी को स्वतंत्रत और निष्पक्ष जांच अधिकारी की नियुक्ति के चरण से विभागीय जांच के साथ आगे बढ़ने की

स्वतंत्रताता दी जाती है और उसके बाद कानून और इस आदेश में की गई टिप्पणियों के अनुसार आगे बढ़ेगा, विशेष रूप से पैराग्राफ सं.18 में दिए गए निर्वेश के अनुसार।

(हरीश कुमार, न्यायमूर्ति)

अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायमूर्ति: मैं सहमत हूँ।

(अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायमूर्ति)

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।